प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.07.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.07.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध गांजा / नशीले पाउडर की तस्करी करने वाले चार अभियुक्त (1) प्रसन्नजीत राय (2) बुद्धेश्वर नमोदास (3) सुनील दीगल व (4) पीयूष दीगल को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से कुल 21 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था, उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हे जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग में अभियुक्त दीपक कश्यप उर्फ भज्जी वांछित था, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.07.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिक की सूचना पर वांछित अभियुक्त दीपक कश्यप उर्फ भज्जी पुत्र सुभाष कश्यप उर्फ सुभाष मल्लाह निवासी बिहारीपुरा निकट शनि चौक थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को शनि चौक बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि शनि चौक बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मे निवास करता हूं तथा भारी मात्रा में उडीसा से गांजा व अन्य नशीला पाउडर मंगा कर उसकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर लाल क्वाटर्स व सुदामापुरी के आस पास रहने वाले गांजा व नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों को बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेते है, मादक पदार्थ की तस्करी करने के चक्कर में मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दीपक कश्यप उर्फ भज्जी पुत्र सुभाष कश्यप उर्फ सुभाष मल्लाह निवासी बिहारीपुरा निकट शनि चौक थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियोग थाना टीलामोड़ पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना विजयनगर पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग व चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग **कुल 06 अभियोग** पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14/06/2026 को वादिया द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त अर्जुन द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर

के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान पीडिता की मेड़िकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 25/07/2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र हृदयराम निवासी ग्राम सेमरा पैकोलिया थाना पैकोलिया जिला बस्ती उम्र करीब 23 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त अर्जुन ने बताया कि पीडिता और मैं एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं तथा हमारी आपस में बातचीत थी। मैं पीडिता को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन पुत्र हृदयराम निवासी ग्राम सेमरा पैकोलिया थाना पैकोलिया जिला बस्ती उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.07.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त भूपेन्दर उर्फ छोटू पुत्र नेम सिहं निवासी पुरपुर्सी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा- 345(3),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने और मेरें दोस्त शिवम उर्फ बम पुत्र अनिल निवासी उखलारसी थाना मुरादनगर गाजियाबाद ने करीब दो महीने पहले चोरी की थी,

मैं पुलिस से बचने के लिये फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर इस मोटरसाइकिल को चला रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भूपेन्दर उर्फ छोटू पुत्र नेम सिहं निवासी पुरपुर्सी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

शिवम उर्फ बम पुत्र अनिल निवासी उखलारसी थाना मुरादनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुयी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल की बरामदगी सहित चोरी के 03 अभियोग, मारपीट के 02 अभियोग व थाना मधुबन बापूधाम व थाना मोदीनगर पर चोरी का अभियोग 01-01 **(कुल-07)** अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा.315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

दिनांक 24.07.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन प्रहार"** के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त शौकीन उर्फ बंगाली पुत्र दिलशाद निवासी मोहल्ला नूरगंज थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह अवैध तमंचा रौब जमाने और शौक के लिये अपने पास रखा हुआ था। मैं इस अवैध तमंचा व कारतूस को लेकर निकला था कि पुलिस चैंकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

शौकीन उर्फ बंगाली पुत्र दिलशाद निवासी मोहल्ला नूरगंज थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम व एएनटीएफ टीम मेरठ द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.07.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम व एएनटीएफ टीम मेरठ द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध गांजा / नशीले पाउडर की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त 1. अनीश कुमार 2. गुड्डू उर्फ अंकित को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 119 किलोग्राम गांजा व एक गाडी टाटा हैरियर न0 UP17Q1122 व एक गाड़ी बलेनो न0 DL9CAP0848 बरामद, उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 25.07.2026 को श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना नन्दग्राम पुलिस टीम एवं घटना में प्रयुक्त द्वारा दौराने संयुक्त चेकिंग थाना नन्दग्राम क्षेत्र मुखबिर की सूचना पर चमन कॉलोनी चौधरी पार्किंग के पास खाली प्लाट से 02 नफर अभियुक्त मय अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त कार के साथ गिरफ्तार किया।अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर अपने जुर्म को इकबाल करते हुए बताया कि साहब हम दोनो बिहार के रहने वाले है और हम यह माल उडीसा/बिहार से सस्ते दाम पर भारी मात्रा में गाड़ी से छोटे छोटे पैकेट में भरकर लाते है। और एनसीआर क्षेत्र में किसी स्थान पर गाड़ी में माल पलटकर गांजे को दिल्ली /एनसीआर क्षेत्र में अधिक दाम पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अनीश कुमार पुत्र राजू नन्दन सिंह निवासी गाँव टेम्पल सिसीरता थाना नोखा जनपद रोहतास (बिहार) उम्र 23 वर्ष

2.गुड्डू कुमार उर्फ अंकित कुमार पुत्र ब्रिज बिहारी यादव निवासी गाँव फिनिंगी थाना बिहियाँ जनपद भोजपुर (बिहार) उम्र 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम व एएनटीएफ टीम मेरठ।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 09 मोबाइल फोन एवं 01 बैग बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक **24.07.2026** को वादी श्री सत्यप्रकाश पुत्र रुदल गोड निवासी नसीरपुर छीतौना, थाना जहाँगीरगंज, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना लिंकरोड पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि झण्डापुर स्थित राघव के मकान, गली नं0-12 से अज्ञात चोरों द्वारा उनके **03 मोबाइल फोन** चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर धारा **305(1) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। घटना के अनावरण के क्रम में थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए स्थानीय अभिसूचना विकसित की गई। दिनांक **24.07.2026** को दिल्ली प्रेस कट के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से **दो डिब्बों में रखे चोरी के कुल 09 मोबाइल फोन एवं 01 काला-ग्रे रंग का बैग** बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा **317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे झण्डापुर एवं आसपास के क्षेत्रों में मकानों एवं अन्य स्थानों से मोबाइल फोन चोरी करते थे। चोरी किए गए मोबाइलों को दिल्ली में राह चलते लोगों को कम कीमत पर बेच देते थे तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग नशे एवं अपने व्यक्तिगत खर्चों में करते थे। बरामद सभी मोबाइल फोन बिक्री के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे, तभी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों से अन्य चोरी की घटनाओं, बरामद मोबाइलों के वास्तविक स्वामियों तथा उनके अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. **आकाश झा उर्फ नागिन** पुत्र मनोज झा, निवासी ग्राम परिहार, थाना मैतोरी, जनपद पटना (बिहार), हाल निवासी हिन्दन विहार, ओम त्यागी का मकान, दीवान फार्म हाउस के पास, थाना नन्दग्राम, जनपद गाजियाबाद, **उम्र करीब 25 वर्ष।**
2. **राकेश कुमार** पुत्र उदय प्रताप, निवासी ग्राम सागरा, थाना नौतन, जनपद सिवान (बिहार), हाल निवासी उमेश का मकान, पानी की टंकी के पास, थाने के पीछे, थाना नन्दग्राम, जनपद गाजियाबाद, **उम्र करीब 24 वर्ष।**

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी के 09 मोबाइल फोन।

- 01 बैग।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

राकेश कुमार के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के कुल 07 अभियोग, थाना शालीमार गार्डन पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग तथा थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग सहित कुल **09 अभियोग** पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

आकाश झा उर्फ नागिन के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी के 02 अभियोग, थाना सिहानी गेट पर चोरी का 01 अभियोग तथा थाना लिंकरोड पर चोरी का 01 अभियोग सहित कुल **04 अभियोग** पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 लुटेरे/वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन एवं चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- थाना टीलामोड़ क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 25.07.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना एवं सतर्क निगरानी के आधार पर निस्तौली से सोनिया विहार जाने वाले मार्ग पर सुभाष डागर के खेत के पास से दो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी में कब्जे पास से लूट का 01 मोबाइल फोन तथा चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई । बरामद मोबाइल थाना टीलामोड़ क्षेत्र में दर्ज मोबाइल लूट की घटना से संबंधित पाया गया, जबकि बरामद मोटरसाइकिल थाना सीमापुरी, दिल्ली में पंजीकृत वाहन चोरी के अभियोग से संबंधित है। बरामदगी के आधार पर थाना टीलामोड़ पर धारा 317(2)/317(5)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर पहले बिना सुरक्षा के खड़ी मोटरसाइकिलों की रेकी करते थे और मौका मिलते ही उन्हें चोरी कर लेते थे। चोरी की मोटरसाइकिलों को कम कीमत का लालच देकर जरूरतमंद लोगों को बेच देते थे। इसके अतिरिक्त भीड़-भाड़ एवं सुनसान स्थानों पर राह चलते लोगों को निशाना बनाकर उनके मोबाइल फोन छीन लेते थे। चोरी एवं लूट से प्राप्त धनराशि से वे अपने व्यक्तिगत खर्च पूरे करते थे। अभियुक्तों से लूट के अन्य मोबाइल फोन, चोरी के अन्य वाहनों तथा उनके अन्य साथियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- रवि राणा पुत्र देवेन्द्र कुमार, निवासी डी-4 फ्लैट-003, भारत सिटी, थाना टीलामोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष।

- रोहित पुत्र जयनारायण, मूल निवासी भूड़ चौराहा, जनपद बुलन्दशहर, हाल निवासी लाल गेट वाली गली, निकट शिव मंदिर, भोपुरा, थाना टीलामोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- लूट का 01 मोबाइल फोन।
- चोरी की 01 मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम, सर्विलांस सेल एवं स्वाट टीम ट्रांस हिंडन की संयुक्त कार्यवाही में मेट्रो स्टेशन व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल चोरी करने वाले सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, चोरी के 05 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 23.07.2026 को वादी श्री अंकित श्रीवास्तव पुत्र दीपक श्रीवास्तव निवासी गली नं0-10, छजारसी, सेक्टर-63, नोएडा द्वारा थाना साहिबाबाद पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि वह दिल्ली से गाजियाबाद मेट्रो के माध्यम से आ रहे थे । यात्रा के दौरान मेट्रो में अत्यधिक भीड़ का लाभ उठाकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका आईफोन-13 चोरी कर लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **थाना पुलिस, सर्विलांस सेल एवं स्वाट टीम ट्रांस हिंडन की संयुक्त टीम गठित की गई ।** घटना के खुलासे हेतु पुलिस टीम द्वारा मेट्रो स्टेशन, आसपास के मार्गों एवं संभावित आवागमन स्थलों के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों का गहन विश्लेषण, तकनीकी सर्विलांस, स्थानीय अभिसूचना तंत्र तथा मुखबिरों को सक्रिय किया गया। लगातार तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। सर्विलांस टीम द्वारा एकत्रित महत्वपूर्ण इनपुट एवं मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर दिनांक 25.07.2026 की रात्रि में थाना साहिबाबाद पुलिस, सर्विलांस सेल एवं स्वाट टीम ट्रांस हिंडन द्वारा शालीमार गार्डन ईएसआई कट के पास घेराबंदी कर मेट्रो स्टेशन एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सक्रिय मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 04 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के कुल 05 मोबाइल फोन बरामद किए गए । बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस का बढोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में अभियुक्तों/अभियुक्ता ने बताया कि वे संगठित गिरोह बनाकर मेट्रो स्टेशन, बाजार, बस स्टैंड एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे । भीड़ एवं धक्का-मुक्की का लाभ उठाकर बड़ी सफाई से मोबाइल फोन चोरी कर लेते थे । चोरी के बाद मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर तोड़ देते थे ताकि मोबाइल स्वामी अथवा पुलिस उनकी लोकेशन का पता न लगा सके। इसके बाद चोरी किए गए मोबाइल फोन को औने-पौने दामों में जरूरतमंद लोगों को बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेते थे तथा उसी से अपना खर्च चलाते थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों/अभियुक्ता का नाम व पताः-

1. जावेद पुत्र औसाफ अली निवासी गली नं0-3, हाजी कॉलोनी, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 43 वर्ष।
2. आयुष उर्फ सुहैल पुत्र इकबाल निवासी ई-343, गली नं0-1, सनलाइट कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, थाना सीमापुरी, दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष।
3. मोहम्मद अशरफ पुत्र अख्तर निवासी गली नं0-3, हाजी कॉलोनी, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम कल्हैड़ा, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर, उम्र करीब 55 वर्ष।
4. गौरव पुत्र बालेश्वर निवासी मकान नं0-172, शिव मंदिर के पास, सरस्वती बिहार, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष।
5. शाजिया पत्नी विकास, पुत्री नईम खान निवासी मकान नं0-172, शिव मंदिर के पास, सरस्वती बिहार, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 05 चोरी के मोबाइल फोन।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर मोबाइल चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं।
- अभियुक्त आयुष उर्फ सुहैल के विरुद्ध गौतमबुद्धनगर में चोरी के 04 अभियोग तथा थाना इन्दिरापुरम में 02 अभियोग सहित कुल 08 अभियोग पंजीकृत हैं।
- अभियुक्त जावेद के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन में 01 तथा थाना इन्दिरापुरम में 02 अभियोग सहित कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- सर्विलांस सेल, ट्रांस हिंडन।
- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।
- स्वाट टीम, ट्रांस हिंडन।